संयोगितागंज दिगम्बर जैन पंचायती पाठशाला समिति

पारसी मोहल्ला, छावनी, इंदौर – मप्र

लेबर कांट्रैक्टर निविदा नियम एवं शर्तें

(कृपया निविदा पत्र को सील बंद लिफाफे मे सन्मति हा.से. स्कूल, रेसिडेंसी एरिया, इंदौर पर जमा करें)

1) निविदा प्रारम्भ होने की तिथि 06-06-2023
   निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 15-06-2023, दोपहर 3 बजे तक
   निविदा खोलने की दिनांक 16-06-2023
2) **धरोहर राशि रु. 5000/- (डिमांड ड्राफ्ट) निविदा फार्म के साथ जमा करना अनिवार्य हैं।**
3) **अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग धरोहर राशि जमा करना होगी।**
4) **धरोहर राशि सिर्फ डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ही जमा की जा सकेंगी।**
5) निविदा मे भाग लेने के लिए निविदादाता के पास अपनी फर्म का वैध पंजीयन, एवं पेन कार्ड होना आवश्यक हैं।
6) निविदादाता के पास श्रमिक आपूर्ति का लेबर लाइसेन्स तथा पी. एफ. , ईएसआईसी पंजीयन होना आवश्यक हैं। (निविदा पत्र के साथ प्रति सलग्न करें)
7) प्राप्त सभी निविदाओ या उनमे से किसी निविदा को पूर्ण या आंशिक रूप से स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार '**संयोगितागंज दिगम्बर जैन पंचायती पाठशाला समिति**' के पास सुरक्षित रहेगा
8) स्वीकृत निविदाओं की धरोहर राशि अमानत के तौर पर कार्य मे समायोजित की जावेगी तथा अस्वीकृत निविदाओं की धरोहर राशि 30 दिवस के भीतर वापस की जावेगी। (अपनी बैंक खाते की जानकारी की प्रति सलग्न करें)
9) स्वीकृत निविदाओं की धरोहर राशि कार्य पूर्ण होने के 30 दिवस के उपरांत बिना ब्याज के वापस की जावेगी।
10) स्वीकृत निविदाधारी फर्म के साथ एक कानूनी अनुबंध किया जावेगा जिसका पालन दोनों पक्षो को करना अनिवार्य रहेगा।
11) अनुबंध के अनुसार तय समय सीमा मे कार्य पूरा किया जाना आवश्यक होगा। तय समय सीमा मे कार्य पूरा ना होने की दशा मे प्रति दिन के हिसाब से पेनाल्टी लगेगी।
12) श्रमिक उपलब्ध करने वाली संस्था की सेवाएँ असंतोषजनक रहने या अन्य विवाद की स्थिति मे अनुबंध निरस्त करने का अधिकार '**संयोगितागंज दिगम्बर जैन पंचायती पाठशाला समिति**' के पास रहेगा
13) ठेकेदार द्वारा राज्य / केंद्र सरकार के नवीनतम दरों के अनुसार अपने श्रमिकों को नियमानुसार पी. एफ. / ईएसआईसी जमा करना होगी।
14) किसी भी प्रकार की दुर्घटना, चोरी , एवं मशीनरी के रख रखाव की ज़िम्मेदारी श्रमिक उपलब्ध कराने वाली संस्था की रहेगी
15) साइट पर सभी सुरक्षा नियमो का पालन करना सुनिश्चित करना होगा।
16) अन्य किसी प्रकार की शर्तें या नियम समय समय पर जोड़े जा सकते हैं।